अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला–खरसावाँ।

आदेश फलक

आदेश पत्रक ता0 ....

जिला–सरायकेला–खरसावाँ

SAR अपील वाद सं0– 05/2013–14 एवं 14/13–14

केस का प्रकार – चन्दन सरदार वनाम सुभाषिनी सरदारीन एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
11/10/2018	उप समाहर्त्ता प्रभारी, विधि शाखा, सरायकेला– खरसावाँ के पत्रांक–398/विधि, दिनांक 22.10.2016 द्वारा SAR अपील वाद सं0– 05/2013–14 एवं 14/13–14 प्राप्त हुआ है। एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–05/13–14 में अपीलार्थी 1. नैलू सरदार @ जयसिंह सरदार 2. बुरू सरदार दोनों के पिता स्व0 सुरेश सरदार, 3. चंदन सरदार, पिता स्व0 युधिष्ठिर सरदार, ग्राम–ईच्छापुर (मंदिर टोला), थाना– आर0आई0टी0, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने एस0ए0आर0 वाद सं0– 01/2011–12 में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,सरायकेला के आदेश दिनांक 04.07.2012 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के विपक्षी 1. सुभाषिनी सरदारीन, पति स्व0 मंझू सरदार, 2. मन्टू सरदार, पिता स्व0 मंझू सरदार, 3. बासन्ती देवी, पति स्व0 विजय सरदार ग्राम– ईच्छापुर (मंदिर टोला), थाना– आर0आई0टी0, जिला– सरायकेला–खरसावाँ हैं तथा एस0ए0 आर0 अपील वाद सं0–14/13–14 में अपीलार्थी चन्दन सरदार, पिता स्व0 युधिष्ठिर सरदार, ग्राम–ईच्छापुर (मंदिर टोला), थाना– आर0आई0टी0, जिला–सरायकेला–खरसावाँ हैं एवं द्वितीय पक्ष सुभाषिनी सरदारीन पति स्व0 मांझू सरदार @ स्व0 कीनू सरदार 2. मन्टू सरदार, पिता स्व0 मांझू सरदार @ स्व0 कीनू सरदार 3. विजय सरदार, पिता स्व0 टुरा सरदार हैं। वादग्रस्त भूमि का विवरणी निम्नवत है–	

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
दिन्दली	128	206	139	0.48 एकड़
			140	0.12 एकड़
			141	1.46 एकड़
			357	0.18 एकड़
			356	0.06 एकड़
		207	137	1.17 एकड़
			138	1.81 एकड़
			142	0.06 एकड़
			कुल –	4.32 एकड़

उक्त दोनों अपील वाद एक ही एस0ए0आर0 वाद में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इसलिए उक्त दोनों अपील एक ही आदेश पर रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील वाद दायर करने के पश्चात कुछ तिथियों में उपस्थिति दर्ज करायी गयी एवं विगत तीन तिथियों से लगातार अनुपस्थित है एवं द्वितीय पक्ष लंबे समय से अनुपस्थित हैं। तदनुसार अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभिलेख आदेशार्थ रखा गया।

<u>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तथ्यानुसार –</u>

- अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय से टी0ए0 मिस वाद सं0–216/72–73 के माध्यम से अनुमति उपरांत खेसरा

सं0–357 अंतर्गत 0.18 डी0 एवं खेसरा सं0–356 अंतर्गत 0.04 डी0 भूमि 1.
कीनू सरदार 2. लखिन्द्र सरदार, दोनों के पिता स्व0 रमेश सरदार 3.
सुन्दरी सरदारीन पति स्व0 रामेश्वर सरदार से क्रय किया गया है एवं तदोपरांत पक्का मकान निर्मित कर निवासित हैं।

- एस0ए0आर0 वाद के वादी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थीगण की जाति नापित (बारिक) है परंतु अपीलार्थी की जाति भूमिज है जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के व्यक्ति हैं। इसका प्रमाण स्वरूप अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पत्रांक–933 दिनांक 14.06.2007 द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र से स्पष्ट है।
- अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर मकान(छप्परबंदी) के रूप में दखल 39 वर्षों के पूर्व से है इसलिए यह वाद कालवाधित है और भू–वापसी वाद निरस्त करने योग्य है।

<u>द्वितीय पक्ष के लिखित तथ्यानुसार –</u>

- प्रश्नगत भूखण्ड हाल सर्वे खतियान में आदिवासी रैयती खाता की भूमि है। जिसपर निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2012 को पूर्ण समीक्षोपरांत आदेश पारित किये हैं। जिसका अनुपालन अपीलार्थीगण द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।
- अपीलार्थी की जाति नापित(बर्बर) है। ये अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नहीं है। टी0ए0 मिस वाद सं0–216/72–73 के आवेदक सं0–2. लखिन्द्र सरदार , रामेश्वर सरदार के पुत्र नहीं हैं। इसलिए टी0ए0 मिस वाद सं0–216/72–73 में पारित आदेश गलत है। इस टी0ए0 मिस वाद में अपीलार्थीगण द्वारा छल प्रपंच से प्राप्त किये हैं। इसलिए अधिनियम के तहत उन्हें ये भूखण्ड भू–वापसी के तहत प्राप्त होना चाहिये।

<u>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0–01/11–12 में पारित आदेशानुसार –</u>

- वादग्रस्त भूमि हाल सर्वे खतियान में आदिवासी खाते की भूमि है। इस भूखण्ड की भूमि आयडा द्वारा अधिग्रहित होने पर जांचोपरान्त रेंट रेमिशन की कार्रवाई हेतु निदेशित है।
- इस अपील वाद के अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति नहीं है से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं है।
- टी0ए0. मिस वाद के माध्यम से अनुमति उपरांत एवं म्यूनिसिपल सर्वे के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी का दखल 40 वर्षो से है।

इस प्रकार 30 वर्षों से अधिक अवधिक का दखल एवं पक्का मकान होने के कारण अपीलार्थीगण को विवादित भूमि के समतुल्य भूमि प्रतिवेादीगण को देने के उपरांत हस्तांतरण को नियमित मानने का आदेश पारित है।

उपर्युक्त के आलोक में स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा समीक्षोपरांत आदेश पारित किये हैं। इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की क़ार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

Sd/- 11/7/17

अपर उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावाँ।

Sd/- 11/7/17

अपर उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावाँ।